प्रेस नोट   जनपद बिजनौर   दिनांक–04.09.2020

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अस्थाई कारागार बिजनौर से फरार व 25,000/रूपये के पुरूस्कार घोषित अभियुक्त अक्षय की गिरफ्तारी के संबंध में।

मु0अ0सं0–307/2020   **धारा**–307 भादवि   **बनाम**– अक्षय
दिनांक गि0/ब0–03..09.2020   **समय**–16:30 बजे   **गि0/ब0 स्थल**–जंगल ग्राम बडिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः–
अक्षय पुत्र होशियार सिंह निवासी टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात, बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–
एक तमन्चा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1–मु0अ0सं0–240/2020 **धारा**–307 भादवि

2–मु0अ0सं0–241/2020 **धारा**–3/25 शस्त्र अधिनियम

अपराधिक इतिहास

1–मु0अ0स0 87/2020 धारा 380/411 भादवि व 13 जुआ अधिनियम

2–मु0अ0स0 147/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम

3–मु0अ0स0 176/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम

4–मु0अ0स0 235/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम

घटना का संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त अक्षय उर्फ गोलू पुत्र होशियार सिंह निवासी सूजापुर टांडा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर संबंधित मु0अ0सं0 235/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा दिनांक 28.08.2020 को अस्थाई कारागार बिजनौर में दाखिल किया गया था। जो

दिनांक 03.09.2020 की सुबह 06:30 से 07:00 बजे के बीच अस्थाई कारागार/शेल्टर होम की तीसरी मंजिल के जीने का ताला तोडकर आम के पेड के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गया था।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर फरार हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 04 टीमे बनायी गयी थी तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000/रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

जिसके क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त अक्षय नजीबाबाद वडिया की तरफ देखा गया है, जो इस रास्ते से अपने घर जा सकता है। इस सूचना पर हम लोग जंगल के रास्ते पर छिपकर बैठ गये। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ग्राम वडिया की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया थोडा पास आने पर इसकी शिनाख्त हम लोगो ने फरार अभियुकत अक्षय के रूप में की और अभियुक्त अक्षय की घेराबंदी कर उसे रूकने को कहा तो उसके द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलस टीम द्वारा सिखलाए तरीके से बचाव करते हुए अभियुक्त अक्षय को मय तमंचा व कारतूस के गिरफ्तार कर लिया

पूछताछ का विवरण–

अभियुक अक्षय ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिनांक 28/08/2020 को अपने गांव मे तमंचा लेकर घूम रहा था, जिसके संबंध में मुझे थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा जेल भेज दिया था, जेल मे मेरी मुलाकात कुलवीर उर्फ कुलदीप पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम जमालपुर ढीकली थाना बढापुर, फरमान पुत्र निसार निवासी रजा कॉलोनी थाना को0 देहात, सन्जू पुत्र बाबूराम निवासी दौलताबाद थाना को0 देहात से हुई। हम लोगो की आपस मे दोस्ती हो गयी थी दिनांक 02/03.09.2020 की रात मे हम सब लोग आपस मे मिले। फरमान ने बताया कि हम लोगो का इंतजाम हो गया है और रात मे यहाँ से भाग निकलना है मैने पूछा कि रास्ता कहां से तो फरमान ने बताया कि मैने देख रखा है हम सभी को पता है बस तू तैयार रहना और हम सब लोग बैरिक मे चले गये और बैरिक का गेट बन्द होकर ताला लग गया। सुबह 05:00 बजे के करीब बैरिक खुली और फरमान मेरे पास आया और बोला कि ऊपर छत पर चल रहे है हम लोग जीने के रास्ते ऊपर चले गये जीने पर चढने का पहला गेट पर ताला लगाकर बन्द रहता था, परन्तु फरमान ने किवाड खोले और हम ऊपर चले गये वहॉ छत के पास गेट पर कुन्डी लगी थी, जो हम लोगो ने हाथ से खोल दी, वहाँ पर ताला नही लगा था। छत के पास से तार गुजर रहा था तथा उसके पास जेल के बाहर आम का पेड था, सबसे पहले फरमान तार पकड़कर पेड़ से नीचे उतर गया, इसके बाद कुलबीर जिसे हम लोग चवन्नी कहते थे, उतर रहा था उसके पीछे मैं था फरमान कुलवीर उर्फ चवन्नी दोनो उतर कर बैराज की तरफ निकल गये मै उत्तर रहा था, मेरे पीछे संजू था मै उतरकर न्यायालय की तरफ निकल रहा था कि तभी वहां बैठे पुलिस वाले ने संजू को उतरते हुए देख लिया और वहाँ पर हल्ला मच गया मै तो बिजनौर से नजीबाबाद आकर वहाँ से बडिया के लिए सवारी वाहन से आकर बडिया से जंगल मे अपना तमचा लेने जा रहा था, जो मैने जंगल मे एक पेड के पास छिपा रखा था, मेरा एक तमचा पुलिस ने पकडकर जेल भेज दिया था, मैंने जगल मे पेड के पास से अपना तमंचा व कारतूस उठा लिये व एक कारतूस मैने तमचे मे डालकर तीन कारतूस जेब मे डाल लिये। इसके बाद मैं छिपने के लिए जाता मैने सोचा कि एक बार अपनी मां से मिल लू और मैं अपनी मां से मिलने के लिए जा रहा था कि रास्ते मे अचानक पुलिस ने मुझे पकडना चाहा, मैने कहा कि मुझे जाने दो नही तो मै गोली मार कर जान से मार दूगा और मैने यह कहते हुए ही अपना तमंचा एन्टी से निकाल दरोगा जी को जान से मारने के लिए उन पर फायर कर दिया फायर होते ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फरमान व कुलवीर चवन्नी जिला छोड़ने की बात बैरिक मे कर रहे थे वह ऋषिकेश देहरादून को जाने को कहते थे ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–1–थानाध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह 2–उ0नि0 श्री सतेन्द्र 3–कां0 599 रोहित त्यागी 4–कां0 1509 सोवरन सिंह 5–कां0 1611 ओम सिंह 6–कां0 30 ललित कुमार 7–कां0 1929 अजय कुमर

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा बलात्कार के अभियुक्त को मय घटना में प्रयुक्त मोटरा साईकिल के गिरफ्तार करना ।

अवगत कराना है कि थाना स्योहारा पर तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 431/20 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि होने पर उक्त अभियोग में धारा 376/342/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्वि की गयी तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त लोकेश कुमार को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.09.2020 को ग्राम सरकडा नहर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

लोकेश कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना को0देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण

1- घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल न0 UP 20AE 6632 पैशन प्रो रंग काला व लाल

आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार करने वाली टीम

.1उ0नि0 योगेश कुमार मावी . 2कासचिन शर्मा 1323 0

3. का 526 0मौहब्बत खाँ

थाना किरतपुरः— आज दिनॉक 04.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के टॉप टैन अभि0 बाबू उर्फ उस्मान पुत्र कालू उर्फ नूर मोहम्मद निवासी ग्राम बनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध पूर्व में 7 अभियोग पंजीकृत हैं तथा वांछित अभियुक्त है तमंचे व कारतूस 315 बोर 2.फरमान पुत्र कालू उर्फ नूर मोहम्मद निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध पूर्व में कुल 13 पंजीकृत हैं तथा वांछित अभियुक्त है तमंचे व कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

थाना मण्डावलीः— आज दिनॉक 04.09.2020 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभ्ज्ञि0 धर्मेन्द्र पुत्र सुखराम निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर व अभि0 मोनू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मंडावली बिजनौर को 20—20 लीटर अवैध शराब व 01—01 अवैध तमन्से सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 173/20 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 मु0अ0सं0 174/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम धर्मेन्द्र उपरोक्त, मु0अ0सं0 175/20 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 मु0अ0सं0 176/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

नोट– आज दिनॉक 04.09.2020 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद न्यायालय के अन्दर संदिग्ध व्यक्ति की चैंकिंग की गयी तथा पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

VERNA

थाना रेहड– आज दिनांक 04.09.2020 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोहर पुत्र प्रेम सिंह निवासी मोहम्मदपुर थाना धामपुर, जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।